

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2723

बुधवार, 12 अगस्त, 2026 (21 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण और सुदृढीकरण

2723 डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटरीकृत की गई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) तथा स्थापित की गई नई बहुउद्देश्यीय पीएसीएस की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सभी पीएसीएस को समान ईआरपी मंच के माध्यम से नाबार्ड तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है तथा इसके पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है;
- (ग) कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने पीएसीएस की वित्तीय संधारणीयता, व्यवसाय विविधीकरण तथा प्रचालन निष्पादन का आकलन किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो सीमावर्ती तथा आकांक्षी जिलों में पीएसीएस हेतु प्रस्तावित विशेष सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और स्थापित नई बहुउद्देश्यीय पैक्स /डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्रमशः **संलग्नक-क और संलग्नक -ख** में दिया गया है ।
- (ख) कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत, सभी स्वीकृत पैक्स को एक कॉमन एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लिंक किए जाने और संबंधित राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ संबद्ध करने की परिकल्पना

की गई है। दिनांक 15.07.2026 तक, 63,686 पैक्स को ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है। परियोजना कार्यान्वयन के भाग के रूप में नाबार्ड और सहकारी बैंकों के साथ एकीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। परियोजना की अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि दिनांक **31.03.2027** तक है।

(ग) कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र निधियों का ब्योरा संलग्नक-ग में दिया गया है।

(घ) से (ड.) सरकार ने पैक्स की वित्तीय स्थिरता, व्यापार विविधीकरण और प्रचालन प्रदर्शन का आकलन किया है और पैक्स के शासन, पारदर्शिता और प्रचालन दक्षता में सुधार के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उप-विधियाँ तैयार की गई हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। आदर्श उप-विधियाँ पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से शासन में सुधार करने और महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ सदस्यता को अधिक समावेशी बनाने में सक्षम करती हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आदर्श उप-विधियों को अपनाया है या अपनी मौजूदा उप-विधियों को आदर्श उप-विधियों के साथ संरेखित किया है।

सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) ने प्रभावी समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य और जिला स्तरों पर सहकारी क्षेत्र की पहलों की निगरानी के लिए एक बहुस्तरीय संस्थागत तंत्र अपनाया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इसमें शामिल है:

- i. अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) – माननीय गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में;
- ii. राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) – सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में;
- iii. राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) - संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में; और
- iv. जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) - संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 'सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क' शुरू किया है जो लेखा संपरीक्षा अनुपालन, वित्तीय निष्पादन और प्रचालन कार्यकलापों सहित मानकीकृत पैरामीटर प्रदान करता है जो सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक (आरसीएस) को स्वतंत्र मूल्यांकन करने और राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर समितियों को सशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय पैक्स की वित्तीय स्थिरता, व्यापार विविधीकरण और प्रचालन निष्पादन में सुधार के लिए कई पहलों को लागू कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

- i. कॉमन ईआरपी-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण;
- ii. विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में पैक्स का विविधीकरण;

- iii. अनाच्छादित पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना ;
- iv. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण पहल के तहत पैक्स स्तर पर कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण; और
- v. कुशल सेवा प्रदाय के लिए डिजिटल और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ पैक्स का एकीकरण

भारत सरकार पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अधीन सीधे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं जिसमें सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में पैक्स शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में प्रदान की गई विशेष सहायता निम्नानुसार है:

- i. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना के अंतर्गत, सीमावर्ती जिलों सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पात्र निर्माण लागत को 4,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से संशोधित कर 8,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।
- ii. पूंजीगत सब्सिडी को भी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मैदानी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 875 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 2,333 रुपये प्रति मीट्रिक टन और सीमावर्ती जिलों सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,333.33 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 2,666 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई है ।
- iii. दुर्गम भूभाग के लिए शिथिल मानदंड: किराया आश्वासन (उदाहरण के लिए एफसीआई द्वारा) के लिए भंडारण क्षमता मानदंड देश के शेष भूभाग में (2,500 मीट्रिक टन) की तुलना में पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम (1,671 मीट्रिक टन) है ।
- iv. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के तहत ऐसे जिलों में पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों का निर्माण करने के प्रयास किए गए हैं।
- v. आकांक्षी जिलों और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों और द्वीप क्षेत्रों में पैक्स आधारित जनऔषधि केंद्रों को प्राथमिकता देने के लिए, आईटी अवसंरचना (कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट ₹0.50 लाख) और फर्नीचर/फिक्स्चर (₹1.50 लाख) के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में ₹2.00 लाख का एकमुश्त विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है । ₹2.00 लाख का अनुदान उन उद्यमियों पर भी लागू होता है जो महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन या पूर्व सैनिक हैं ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण डेटा 15 जुलाई 2026:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुमोदित पैक्स	ईआरपी ऑनबोर्ड किया गया
1	अंडमान और निकोबार	46	46
2	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021
3	अरुणाचल प्रदेश	139	14
4	असम	850	581
5	बिहार	4,495	4,482
6	छत्तीसगढ़	2,028	2,028
7	दमन और दीव	9	4
8	गोवा	86	55
9	गुजरात	6,216	5,760
10	हरियाणा	710	710
11	हिमाचल प्रदेश	1,885	1,598
12	जम्मू और कश्मीर	708	537
13	झारखंड	2,797	1,491
14	कर्नाटक	5,894	4,590
15	लद्दाख	10	10
16	मध्य प्रदेश	5,455	4,536
17	महाराष्ट्र	12,178	12,033
18	मणिपुर	308	214
19	मेघालय	330	103
20	मिजोरम	99	45
21	नागालैंड	231	142
22	ओडिशा	4,240	0
23	पुदुचेरी	45	44
24	पंजाब	3,482	3,454
25	राजस्थान	8,525	6933
26	सिक्किम	131	107
27	तमिलनाडु	4,561	4,481
28	त्रिपुरा	475	268
29	उत्तर प्रदेश	6,257	3,219
30	उत्तराखंड	1,216	668
31	पश्चिम बंगाल	4,187	3,512
	कुल	79,630	63,686

दिनांक 15-07-2026 तक नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नई सहकारी समितियों का गठन			
		पैक्स	डेयरी	मात्स्यिकी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	11	14
2	आंध्र प्रदेश	11	1,067	2	1,080
3	अरुणाचल प्रदेश	136	25	29	190
4	असम	580	725	89	1,394
5	बिहार	61	4,498	2	4,561
6	छत्तीसगढ़	517	361	336	1,214
7	गोवा	38	5	4	47
8	गुजरात	662	810	26	1,498
9	हरियाणा	40	197	6	243
10	हिमाचल प्रदेश	136	854	12	1,002
11	जम्मू और कश्मीर	232	1,339	40	1,611
12	झारखंड	45	300	227	572
13	कर्नाटक	265	1,264	52	1,581
14	केरल	0	0	0	0
15	लद्दाख	3	3	1	7
16	लक्षद्वीप	0	0	29	29
17	मध्य प्रदेश	680	1,349	255	2,284
18	महाराष्ट्र	212	1,223	167	1,602
19	मणिपुर	127	27	71	225
20	मेघालय	290	17	19	326
21	मिजोरम	97	2	2	101
22	नागालैंड	50	5	19	74
23	ओडिशा	1,539	1,009	61	2,609
24	पुदुचेरी	4	3	3	10
25	पंजाब	153	1,027	52	1,232
26	राजस्थान	2,003	3,295	31	5,329
27	सिक्किम	27	77	4	108
28	तमिलनाडु	27	940	36	1,003
29	तेलंगाना	0	166	102	268
30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	0	1	6
31	त्रिपुरा	294	2	26	322
32	उत्तर प्रदेश	1,364	4,450	514	6,328
33	उत्तराखंड	606	269	124	999
34	पश्चिम बंगाल	25	241	3	269
	कुल	10,230	25,552	2,356	38,138

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए निधि की स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अब तक आबंटित राशि	अब तक जारी राशि	अब तक उपयोग की गई राशि
महाराष्ट्र	288.61	150.74	125.13
राजस्थान	214.57	92.84	75.98
गुजरात	193.04	97.97	80.25
उत्तर प्रदेश	200.09	77.09	44.66
कर्नाटक	172.38	67.83	46.74
मध्य प्रदेश	111.64	72.43	57.46
तमिलनाडु	132.09	55.73	48.18
बिहार	125.26	53.90	38.96
पश्चिम बंगाल	168.26	50.79	28.05
पंजाब	96.73	33.94	24.74
आंध्र प्रदेश	60.22	37.54	32.35
छत्तीसगढ़	68.99	30.55	28.02
हिमाचल प्रदेश	53.91	32.45	29.20
झारखंड	71.34	38.30	20.29
हरियाणा	21.24	8.79	8.58
उत्तराखंड	28.43	5.69	2.09
असम	29.35	18.01	12.13
जम्मू और कश्मीर	25.19	12.58	7.74
त्रिपुरा	18.18	10.05	6.53
मणिपुर	13.46	4.12	2.69
नागालैंड	5.45	5.09	4.42
मेघालय	11.13	3.34	2.38
सिक्किम	5.15	3.83	2.04
गोवा	2.38	1.70	0.51
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2.81	1.19	0.62
पुदुचेरी	1.76	0.91	0.54
मिजोरम	2.84	1.56	1.11
अरुणाचल प्रदेश	4.20	2.22	0.29
लद्दाख	0.52	0.16	0.12
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.35	0.12	0.12
ओडिशा	66.15	25.07	20.02
कुल	2,195.72	996.54	751.94